

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : खण्डपीठ ग्वालियर

निविदा सूचना

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में स्वल्पाहार की व्यवस्था किए जाने हेतु विभिन्न फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशनो में स्वल्पाहार की विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आफिशियल वेबसाईट पर उपलब्ध है। इच्छुक फर्मों के द्वारा दिनांक 08.08.2025 शाम 04:00 बजे तक अपनी दरे प्रस्तुत की जा सकती है।


(अनिल कुमार देशमुख)
डिप्टी रजिस्ट्रार/सी.एल.

Chief Librarian
Deputy Registrar (In-Charge)
High Court of M.P., Bench-Gwalior

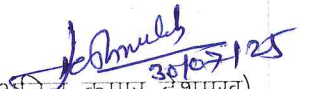
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : खण्डपीठ ग्वालियर

निविदा सूचना

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में स्वल्पाहार की व्यवस्था किए जाने हेतु विभिन्न फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशनो में स्वल्पाहार एवं अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

व्यवस्था का प्रकार	अनुमानित संख्या	खाद्य सामग्री
नाश्ते की व्यवस्था प्लेट सिस्टम द्वारा	800 से 1000 अनुमानित	पौधा, जलेबी, वेज पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, ढोकला, चाय/कॉफी, पानी की बोतले व पानी के केन
नाश्ते के डिस्पोजेबल डिब्बे	450 से 550	समोसा, कचौड़ी, ढोकला, सेण्डविच, गुलाब जामुन

- इच्छुक फर्मों के द्वारा पर्याप्त संख्या में खाद्य सामग्री बनाने एवं सर्व करने, प्लेटों को साफ करने इत्यादि कार्यों के लिए स्टाफ की व्यवस्था की जावेगी।
- काउण्टर के लिए टेबिल, झालर अच्छी गुणवत्ता की कैंकरी, पानी के केन, छोटी डिस्पोजेबल पानी की बोतले, पर्याप्त डस्टबिने जगह-जगह पर रखी जावेगी।
- फर्मों के द्वारा अपने कोटेशनो में स्पष्ट रूप से स्टाफ की संख्या एवं उपरोक्त व्यवस्थाओं एवं दरो का उल्लेख किया जावेगा।
- उपलब्ध कराया जाने वाले स्टाफ में हलवाई, बर्तनों की साफ-सफाई करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वच्छ वेशभूषा(Uniform) कम से कम 15 वेटर होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त समस्त व्यवस्था दिनांक 15.08.2025 सुबह 08:30 तक सुनिश्चित की जाना है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता या व्यवस्थाओं में कमी होने पर अर्थदण्ड स्वरूप 25 प्रतिशत तक राशि की कटौती देयक की राशि में से की जा सकेगी।
- फर्मों के चुनाव के समय आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री एवं कैंकरी के सैंपल प्रस्तुत करने हेतु फर्मों को कहा जा सकता है। सैंपलों की गुणवत्ता एवं दरो के आधार पर फर्मों का चुनाव किया जा सकेगा।
- फर्मों का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है एवं शासकीय विभागों में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।


(अनिल कुमार देशमुख)
डिप्टी रजिस्ट्रार/सी.एल.